

F 22-6/16/36

छब्बोस-२ सचिवालय

विषय: याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 1278/16 श्री हीरालाल अग्रवाल
विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य ।

भंडा-मुआर
का विभाग

पंजी क्रमांक 557/16/36 दिनांक 16.02.2016
उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका

P-4

उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका का
अवलोकन करें ।

श्री हीरालाल अग्रवाल द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू
पी 1278/16 उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई है, जिसमें
जवाबदावा दिनांक 22.02.2016 के पूर्व प्रस्तुत किया जाना है।
जिसकी प्रति मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा इस विभाग को
प्रेषित की गई है ।

अतः यदि मान्य हो तो प्रभारी अधिकारी नियुक्ति
करने से संबंधित जानकारी नस्ती पर उपलब्ध कराने हेतु नस्ती
संचालक मत्स्योद्योग को अंकित की जाना प्रस्तावित है ।

अ0प्र0

P.S.

DS(अवकाश)

DS

से.सी.

17/02/16

17/2/16

18/2

U.N. 89/2016/36

File No. 282/FPS/2015/8/02/16
18/2

19 FEB 2016

आवक क्र. 1628
दिनांक 23 FEB 2016

f-22-6/16/36

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

विषय:-याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 1278/16 श्री हीरालाल अग्रवाल
विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य ।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से -

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में
श्री हीरालाल अग्रवाल विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य के
प्रकरण में दायर याचिका क्रमांक 1278/2016 में शासन
पक्ष प्रतिरक्षण हेतु सहायक संचालक मत्स्योद्योग टीकमगढ़
को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।

29.2.16
संचालक मत्स्योद्योग
मध्यप्रदेश

प्रमुख सचिव

म.प्र.शासन,

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग



File/Letter No. 393/JFIPS/2015
2/3
2/3

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :-

विषय:- याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 1278/16 श्री हीरालाल अग्रवाल विरुद्ध मा0प्र0शासन एवं अन्य ।

का विभाग

पंजी क्रमांक 610/16/36 दिनांक 19.02.2016
संचालक मत्स्योद्योग से प्राप्त पत्र दिनांक 18.02.2016

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें ।

संचालक मत्स्योद्योग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र दिनांक 28.01.2016 की छायाप्रति संलग्न कर विषयांकित प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं शासन पक्ष हेतु सहायक संचालक मत्स्योद्योग टीकमगढ़ को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है

पूर्व में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु संचालक मत्स्योद्योग को विभागीय नस्ती क्रमांक 89/16/36 दिनांक 18.02.2016 से भेजी गई है । परंतु नस्ती वापिस नहीं भेजी गई है ।

वृत्ति प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना है ।
अतः यदि मान्य हो तो संचालक मत्स्योद्योग के उक्त प्रस्तावनुसार सहायक संचालक मत्स्योद्योग टीकमगढ़ को प्रभारी अधिकारी नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रारूप अनुमोदन प्रस्तुत है ।

अनुमोदित
प्रस्ताव
कृपया 17/3/2016 को अनुमोदन प्रस्तुत करें।
P.S. (कैला) अनुमोदित ।
P.S.
SOCA

2/3/16
2/3/16
3-3/16
3/3/16
03/03/16

P43/c

P44/c

P42/c

✓ F22-6/16/36
R.6/0/16/36

विषय :-

विषय:- याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 1278/16 श्री हीरालाल अग्रवाल
विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य ।

का विभाग

306/25F
08/03/16

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृष्ठ पर प्रारूप अनुमोदन अनुसार स्थापक
प्रतियां दस्तावेज हेतु प्रस्तुत है।

अ0310

US

01/2/2016

50CF

03/03/16

313

3/3/16

509-10/16/36

आवक क्रमांक

दिनांक

4-3-16

03/03/16

उक्त न्यायालयीन प्रकरण में सहायक संचालक
मत्स्योद्योग टीकमगढ़ को प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति आदेश दिनांक
04.03.2016 को जारी किया जा चुका है । प्रतिरक्षण आदेश जारी
किये जाने हेतु कृपया नस्ती विधि विभाग को अकित करना चाहेंगे ।

अ0310

US

US

विधि विभाग

08/03/16

313

8/3/16

8-3-16

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
मधुआ कल्याण तथा
मत्स्य विकास विभाग

U.N.138/2016/36
08/03/16

4/85

56

मध्यप्रदेश शासन
मधुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक ५-३-१६

क्रमांक एफ २२ ०६/२०१६/छत्तीस : सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ का अधिनियम संख्याक ५) के आदेश सत्ताईस के नियम १ तथा २ के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सहायक संचालक मत्स्योद्योग टीकमगढ़ को याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी. १२७८/१६ श्री हीरालाल अग्रवाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी और से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने, आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी शैली में जिनमें ब्यौरे भी दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :

- (१) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में गहाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- (२) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (३) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (४) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (५) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (६) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
 - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ, इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
- (७) मामले के तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (८) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टताया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (९) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेगा।
- (१०) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और इसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

59

//2//

- 11) जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेंगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- 12) प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाए।
- 13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुकदर है, तो वह, जैसे ही वाद की विनिश्चय होता है पारिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- 14) प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकदर है, तो वह, इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश के प्रति, जैसे ही पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- 15) प्रभारी अधिकारी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील/रिवीजन पेश करने के लिये भी प्रभारी अधिकारी रहेंगे और उनका यह कर्तव्य रहेंगा कि वे यह प्रयास करें कि समय पर अपील/रिवीजन पेश करने की अनुमति मिल जाये और विहित अवधि में अपील/रिवीजन पेश हो जाये।
(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

dyj 3/3/16
(कलिस्ता कुजूर)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
मधुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 4-3-16

पृ0कमांक एफ 22-06/2016/छत्तीस
प्रतिलिपि :-

- 1- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- 2- संचालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 3- माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0,
- 4- कलेक्टर जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
- 5- सहायक संचालक मत्स्योद्योग टीकमगढ़ (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेट पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलों में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामलों की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिए, वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

dyj 3/3/16
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
मधुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR

Process Id: 14536/2016

WP/1278/2016

पंजी क्रमांक 557/2016/36
दिनांक 16/02/16
मधुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

ON MERIT AND I.R.

Fixed for 22-02-2016

WP-DA-6

Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh,
Through The Principal Secretary Fishries
Dep Vallabh Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 28-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 1278/ 2016**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Heeralal Agrawal** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/1278/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **22-02-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

16/2/16
SOCCF